उत्तरांचल शासन

कृषि एवं कृषि विपणन अनुभाग

अधिसूचना

08 नवम्बर, 2002 ई0

सं0 1401/कृषि/3(5)/2002–चूंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 87 के अधीन उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के सम्बन्ध में लागू विधि को, आदेश द्वारा निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तरण कर सकती है, जो आवश्यक व समीचीन हो।

तथा चूंकि, उ0 प्र0कृषि (समूह ''ख'' पद)सेवा नियमावली, 1995 उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में यथावत लागू है।

अतः अब उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29, सन् 2000) की धारा 87 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल सहर्ष निदेश देते हैं कि उत्तर प्रदेश, अधीनस्थ कृषि (समूह ''ख'' पद) सेवा नियमावली, 1995 उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अध्यधीन लागू रहेगी–

उत्तरांचल (उ0 प्र0 कृषि समूह ''ख'' पद सेवा नियमावली, 1995) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002

1– संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ :–

(1) यह आदेश उत्तरांचल {उत्तर प्रदेश (कृषि समूह ''ख'' पद) सेवा नियमावली, 1995} अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 कहलायेगा।

(2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

2– ''उत्तर प्रदेश'' के स्थान पर ''उत्तरांचल'' पढ़ा जाना :–

उ0प्र0 अधीनस्थ कृषि(समूह 'ख' पद) सेवा नियमावली, 1955 में जहाँ–जहाँ शब्द ''उत्तर प्रदेश'' आया है वहाँ–वहाँ वह शब्द ''उत्तरांचल'' पढ़ा जायेगा।

3– दिनांक 9–11–2002 के उपरान्त उत्तरांचल के संशोधन–

दिनांक 9–11–2000 के उपरान्त उत्तरांचल शासन द्वारा उ0 प्र0 कृषि (समूह ''ख'' पद)सेवा नियमावली, 1995 में समय–समय पर किये गये संशोधन वैध होंगे।

आज्ञा से,

ह0–

(बी0पी0 पाण्डेय)

सचिव।